

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 132

दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को उत्तरार्थ

भू-उपयोग नीति में बदलाव

132. डॉ. के. पी. रामालिंगम:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार विस्थापन को रोकने के लिए भू-उपयोग नीति में बदलाव करके इसे फिर से बनाने पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भूमि अधिग्रहण के कारण होने वाली पीड़ा से निपटने हेतु बंजर जमीन विकसित करने के लिए दी जाएगी; और
- (घ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री बिरेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): भूमि संसाधन विभाग एक राष्ट्रीय भू-उपयोग नीति तैयार कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लोगों के विस्थापन को न्यूनतम करने और बंजर भूमि, अवक्रमित भूमि अथवा असिंचित भूमि पर परियोजनाएं स्थापित करके भूमि अर्जन को सीमित करने के लिए विकास के मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं बशर्ते कि इन भूमियों पर जैव-विविधता, जल संसाधन के संरक्षण आदि जैसे कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य न किए जा रहे हों।
